Continuation Note Sheet

07-01-2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। राज पैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. सुनी गई। **वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि** माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी की अपील दिनांक 10.12.2024 को स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 27.06.2018 निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश एवं डिक्री दिनांक 27.06.2018 राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10.12.2024 के निरस्त हो चुका है, की पालना में स्वीकृत इंतकाल संख्या 397 को निरस्त कर आदेश व डिक्री दिनांक 27.06.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जावे। **राज पैरोकार की जवाब बहस यह रही कि** माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय राज्य पक्ष के विरूद्ध किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अपील/नो–अपील का निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार अपील/नो–अपील राय प्राप्त कर नो–अपील की दशा में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10.12.2024 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 27.06.2018 की पालना में स्वीकृत इंतकाल संख्या 397 को निरस्त कर आदेश व डिक्री दिनांक 27.06.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner